



HAMIRPUR POLICE



थाना सिसोलर

दिनांक 01.08.2022

चोरी के जेवरात कीमत करीब 03 लाख, चोरी की मोटोसाइकिल, एवं 02 अवैध तमंचा/कारतूस सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2022 को रात्रि गस्त व चेकिंग के दौरान थाना सिसोलर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1)रामू श्रीवास्तव उर्फ विकास पुत्र मुन्नाबाबू उर्फ हलधर उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्रा0 सरसई थाना कुरारा व 2)रुपसिंह पुत्र दातादीन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्रा0 खैरी थाना सिसोलर को 02 अवैध तमंचा (एक तमंचा/एक जिन्दा कार0 315 बोर व एक तमन्चा/एक जिन्दा कारतूस 12 बोर) चोरी के 03 मोबाइल फोन, आभूषण सफेद/पीली धातु, गृह भेदन के उपकरण व एक चोरी की मोटोसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से अवैध असलहा एवं आभूषण बरामदगी के संबन्ध में थाना सिसोलर पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व 411 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभि0गण उपरोक्त के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल पल्सर उपरोक्त की चोरी के सम्बन्ध में थाना कबरई जनपद महोबा में मु0अ0स0-209/22 धारा-379 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका:-

रामू श्रीवास्तव उर्फ विकास पुत्र मुन्नाबाबू उर्फ हलधर नि0ग्रा0 सरसई थाना कुरारा जनपद हमीरपुर द्वारा पहला अपराध वर्ष 2017 में अपने साथी विक्रम अहिरवार के साथ मिलकर जनपद हमीरपुर रोडवेज बस स्टैण्ड से शिक्षिका/अध्यापिका के साथ मोबाइल लूट की घटना कारित की गयी थी एवं अपने आपराधिक साथियों के साथ जनपद हमीरपुर के कोतवाली नगर, जलालपुर, मौदहा एवं गैर जनपद के थाना कालपी, थाना कदौरा जनपद जालौन में लूट, चोरी, एनडीपीएस ऐक्ट एवं 307 आईपीसी जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं गैस्टर के मुकदमें में फरवरी 2022 में छूटने के बाद अपने आपराधिक साथी रुपसिंह उपरोक्त के जो तत्समय अभि0 विकास उपरोक्त के साथ जिला जेल हमीरपुर में बन्द था के साथ मिलकर जनपद झाँसी में चोरी की घटना एवं

जनपद महोबा थानान्तर्गत कबरई में मोटरसाइकिल चोरी की घटना कारित की गयी एवं दिनांक 01.08.2022 को चोरी किये गये माल को बेंचने के लिये एवं जनपद में चोरी की घटना कारित करने के उद्देश्य से थाना कबरई से दिनांक 28.07.2022 को अभियुक्त गण द्वारा चोरी की गयी मोटरसाइकिल को लेकर अपराध करने जा रहे थे। अभिगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह लोग प्रायः चोरी करने के लिये ऐसे मकानों को निशाना बनाते हैं, जो बन्द रहते हैं और चोरी की घटना करने के लिये अक्सर चोरी की मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि अगर कहीं पकडे जाने का डर हो या पकडे जायें तो हम लोग की पहचान न हो सके।

1) अभियुक्त रामू श्रीवास्तव उर्फ विकास का आपराधिक इतिहास-

- 1) मु0अ0सं0-333/17, धारा-380/457 आईपीसी थाना कालपी जालौन
- 2) मु0अ0सं0-381/17, धारा-380/457 आईपीसी थाना कालपी जालौन
- 3) मु0अ0सं0-460/17, धारा-2/3 गैंग्स्टर ऐक्ट थाना कालपी जालौन
- 4) मु0अ0सं0-148/17, धारा-379/511 आईपीसी थाना कोतवाली नगर हमीरपुर
- 5) मु0अ0सं0-164/17, धारा-392 आईपीसी कोतवाली नगर हमीरपुर
- 6) मु0अ0सं0-89/19, धारा-379 आईपीसी थाना कालपी जालौन
- 7) मु0अ0सं0-90/19, धारा-379 आईपीसी थाना कालपी जालौन
- 8) मु0अ0सं0-300/19, धारा-2/3 गैंग्स्टर ऐक्ट थाना कालपी जालौन
- 9) मु0अ0सं0-25/19, धारा-307 आईपीसी थाना कदौरा जालौन
- 10) मु0अ0सं0-39/19, 25 आर्म्स ऐक्ट, 8/20 NDPS व 307 IPC (पुलिस मुठभेड) थाना कदौरा
- 11) मु0अ0सं0-48/19, धारा-380 आईपीसी थाना जलालपुर हमीरपुर
- 12) मु0अ0सं0-121/19, धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मौदहा हमीरपुर
- 13) मु0अ0सं0-115/22, धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना सिसोलर हमीरपुर
- 14) मु0अ0सं0-116/22, धारा-411 आईपीसी थाना सिसोलर हमीरपुर

2) अभियुक्त रुपसिंह पुत्र दातादीन का आपराधिक इतिहास-

- 1) मु0अ0सं0-145/21, धारा 392/411 आईपीसी थाना कुरारा हमीरपुर
- 2) मु0अ0सं0-242/21, धारा-2/3 यूपी गैंग्स्टर ऐक्ट थाना कुरारा हमीरपुर
- 3) मु0अ0सं0-114/22, धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना सिसोलर हमीरपुर
- 4) मु0अ0सं0-116/22, धारा-411 आईपीसी थाना सिसोलर हमीरपुर

अभियुक्तों से बरामद माल का विवरण:-

- | | |
|--|--|
| 1) 02 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस (315 बोर व 12 बोर) | 9) दो मंगल सूत्र एक में पीली धातु का पेंडल/एक पीली धातु का लाकेट |
| 2) चोरी के 03 मोबाइल फोन | 10) एक लाल कलावा धागा में मंगल सूत्र पीली धातु |
| 3) एक मो0 साइकिल (UP95Q3699 पल्सर) | 11) दो कान के झाले सफेद धातु |
| 4) 02 जंजीर पीली धातु | 12) दो अगूठी सफेद धातु की |
| 5) दो अंगूठी पीली धातु | 13) चौदह बिछिया सफेद धातु |
| 6) सोलह पीली धातु की कान की छोटी बाली | 14) चार पायल सफेद धातु |
| 7) छः कान के झाले पीली धातु | |
| 8) दो बाली कान की पीली धातु | |

(कुल माल की अनुमानित कीमत 03 लाख रुपए)

गिरफ्तार करने वाली करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. प्र0नि0 सुरेश कुमार सैनी थाना सिसोलर | 5. का0 कमलेश यादव थाना सिसोलर |
| 2. उ0नि0 श्री अविलाख सिंह थाना सिसोलर | 6. का0 अंजनी मिश्र थाना सिसोलर |
| 3. का0 शुभम सिंह थाना सिसोलर | 7. का0 कुलदीप यादव थाना सिसोलर |
| 4. का0 शिव शंकर यादव थाना सिसोलर | 8. का0 नवीन कुमार थाना सिसोलर |

